राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 327 / 2024

प्रदीप कुमार

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अति. मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 26.02.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण), अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 19.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा संभागीय आयुक्त, जयपुर से तहसील कार्यालय, नारायणपुर, जिला कोटपूतली–बहरोड किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को नवसृजित जिले में स्थानान्तरित किया गया है। मुख्य रूप से उनका तर्क रहा है कि अपीलार्थी की वरिष्ठता जिलेवार होती है। वर्तमान में अपीलार्थी को नये जिले में स्थानान्तरित किये जाने से अपीलार्थी की वरिष्ठता विपरीत रूप से प्रभावित होगी। इसके अलावा अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण संभागीय आयुक्त द्वारा किया गया है। संभागीय आयुक्त को कर्मचारियों को नव सृजित जिलों में लगाने के निर्देश दिये गये थे, जिसकी पालना में आलोच्य आदेश दिनांक 19.02.2024 पारित किया गया है। आलोच्य आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि आदेश दिनांक 16.08.2023 के क्रम में नव सृजित जिलों में कार्मिकों को लगाने के लिये निर्देश दिये गये थे।

आदेश दिनांक 16.08.2023 में मंत्रालयिक संवर्ग के कार्मिकों को नये जिले में लगाने के आदेश दिये गये हैं। वर्तमान आलोच्य आदेश जिसमें आदेश दिनांक 16.08.2023 का हवाला दिया गया है, उस आदेश को अपीलार्थी पर लागू नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अपीलार्थी मंत्रालयिक कर्मचारी नहीं है, बल्कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि संभागीय आयुक्त अपीलार्थी को एक जिले से दूसरे जिले में लगाने के लिये सक्षम है। उक्त आदेश में किसी प्रकार की नियम विरूद्धता नहीं है न ही दुर्भावनापूर्वक यह आदेश पारित किया गया है। उनका तर्क है कि नव सृजित जिलों में कार्मिकों को प्रशासनिक दृष्टि से लगाने के उद्धेश्य से अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान स्थान के पद के वेतनमान के समान पद पर ही किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी को किसी प्रकार की वित्तीय हानि नहीं हुई है।

4. हमने दोनों पक्षों के अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

5. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि अपीलार्थी की वरिष्ठता जिला स्तर पर ही तय होती है। वर्तमान आलोच्य आदेश में अपीलार्थी को एक जिले से दूसरी जिले में स्थानान्तरित किया गया है, ऐसे में स्पष्ट है कि अपीलार्थी को नये जिले में पुनः वरिष्ठता दी जाएगी, जिससे वर्तमान वरिष्ठता प्रभावित होगी। आलोच्य आदेश में नये कार्मिकों को लगाने के सम्बन्ध में संभागीय आयुक्त को आदेश दिनांक 16.08.2023 के द्वारा निर्देश दिया गया है, वह केवल मात्र मंत्रालयिक कर्मचारियों के सम्बन्ध में है। ऐसे में वर्तमान आलोच्य आदेश में उक्त आदेश दिनांक 16.08.2023 का हवाला देकर अपीलार्थी को स्थानान्तरित करना उचित नहीं है और स्पष्ट रूप से आलोच्य आदेश बिना विवेक का प्रयोग किये पारित किया गया है।

6. परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अपील स्वीकार की जाती है। आलोच्य आदेश दिनांक 19.02.2024 (अनुलग्नक–1) अपास्त किया जाता है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)